



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177683

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या - 4825/2026

शोभित तिवारी उर्फ प्रांजल तिवारी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : कमलेश शर्मा, राजर्षि गुप्ता

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- इस न्यायालय ने दिनांक 21.05.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था :-

“1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजर्षि गुप्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अभी तक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और समय प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अंतरिम अग्रिम जमानत की प्रार्थना की है।

4- वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 30 वर्ष 2026, धारा 7, 13(3) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश, 2024 तथा धारा 319(2) और धारा 61(2) बी.एन.एस., थाना-दुल्लहपुर, जनपद-गाजीपुर में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।



5- अभियुक्त आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त/आवेदक को दिनांक 25.02.2026 को स्थिर मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त/आवेदक सहित आठ नामित व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. में झूठा फँसाया गया है। सात अभियुक्त उन छात्रों के रिश्तेदार थे, जिन्होंने अन्य व्यक्तियों के स्थान पर परीक्षा दी थी। अभियुक्त/आवेदक प्रबंधक का पुत्र है और बी.एड. पाठ्यक्रम कर रहा है तथा यह कहा गया है कि वह सह-अभियुक्तों को अन्य व्यक्तियों के स्थान पर हाईस्कूल की परीक्षा देने के लिए कहने में साधनभूत था। अभियुक्त/आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त/आवेदक छात्र है और अन्वेषण में सहयोग करना चाहता है, किंतु गिरफ्तारी की आशंका है। अतः अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6- अग्रिम जमानत की सीमा और परिधि को माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन अंतर्दृष्टिपूर्ण निर्णयों में समाहित किया गया है, जो गुरुबक्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य, जो (1980) 2 एस.सी.सी. 565 में प्रतिवेदित है, सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो (2011) 1 एस.सी.सी. 694 में प्रतिवेदित है तथा सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, जो (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में प्रतिवेदित है, जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करते समय न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए, आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत्त, झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए आरोप, अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता, अन्वेषण और विचारण में सहयोग करने के लिए अभियुक्त की इच्छा तथा अभियुक्त के आचरण और न्याय से भागने के जोखिम के सापेक्ष गिरफ्तारी के खतरे या आशंका का मूल्यांकन करना चाहिए।

7- यह न्यायालय, तर्कों, आरोप की गंभीरता और प्रकरण में गिरफ्तारी की आशंका पर विचार करते हुए, न्याय से भागने के कम जोखिम और अन्वेषण तथा विचारण में सहयोग करने के अभियुक्त के आश्वासन के सापेक्ष, सुविचारित मत का है कि अंतरिम जमानत प्रदान की जाए।

8- आवेदक-शोभित तिवारी की, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, गिरफ्तारी की दशा में, वह इस आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर विचारण न्यायालय या



अन्वेषण अधिकारी, जैसा भी प्रकरण हो, के समक्ष उपस्थित होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 25,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अगली नियत तारीख तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी गई हो;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे/उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत किया जा सके;
- (iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।
- (v) आवेदक प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत के दृष्टिगत अन्वेषण अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

9- किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण के लिए समुचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

10- इस प्रकरण को दिनांक **21.08.2026** को प्रस्तुत किया जाए।

11- विद्वान ए.जी.ए. को निर्देशित किया जाता है कि अगली तारीख तक निर्देश प्राप्त करें।”

2- आज जब प्रकरण की पुकार हुई, विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व आदेश में अभिलिखित प्रस्तुतियों को दोहराया है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6- आवेदक स्वयं को बी.एड. पाठ्यक्रम कर रहा छात्र बताता है। आवेदक को वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देते हुए नहीं दर्शाया गया है। आवेदक उस संस्था के प्रबंधक का पुत्र बताया गया है, जहाँ से वे कथित परीक्षार्थी, जिन्हें परीक्षा देनी थी, नामांकित थे। आवेदक अंतरिम अग्रिम जमानत पर है और उसके द्वारा उसे प्रदान की गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाना नहीं कहा गया है।

7- प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, मैं आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

8- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9- आवेदक **शोभित तिवारी उर्फ प्रांजल तिवारी** की गिरफ्तारी की दशा में, उसे वर्तमान मुकदमा अपराध संख्या 30 वर्ष 2026, धारा 7, 13(3) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश, 2024 तथा धारा 319(2) और धारा 61(2) बी.एन.एस., थाना-दुल्लहपुर, जनपद-गाजीपुर में दिनांक 21.05.2026 के आदेश में प्रदान की गई उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

21 अगस्त, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)